

सार्वजनिक सूचना

राज्य के उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने की अनिवार्यता के कारण यूपीसीएल द्वारा वहन की जाने वाली स्थायी लागत की वसूली के लिये यूपीसीएल द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की अवधि में अतिरिक्त सरचार्ज निर्धारण के लिये दायर की गयी याचिका पर विचार आंशत्रित किये जाते हैं

1. यूपीसीएल, उत्तराखण्ड राज्य की एकमात्र विद्युत वितरण एवं खुदरा आपूर्ति अनुज्ञापि कम्पनी ने राज्य के उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अनिवार्यता के कारण वहन की जाने वाली स्थायी लागत की वसूली के लिये उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त सरचार्ज के निर्धारण हेतु एक याचिका उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर की है।
2. अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 की अवधि में उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं से चार्ज किये जाने वाले अतिरिक्त सरचार्ज की गणना निम्नानुसार की गयी है:
 - (i) अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 की अवधि में उन्मुक्त अभिगमन बिजली उपभोक्ताओं द्वारा उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से कय की गयी ऊर्जा तथा यूपीसीएल की stranded ऊर्जा का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	माह	राज्य परिधि पर यूपीसीएल की Stranded ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	बिजली उपभोक्ताओं द्वारा उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से कय की गयी ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
1.	अप्रैल, 20	7.26	7.26
2.	मई, 20	16.61	17.79
3.	जून, 20	25.92	26.29
4.	जुलाई, 20	17.40	17.88
5.	अगस्त, 20	16.60	17.55
6.	सितम्बर, 20	14.99	15.55
	कुल	98.78	102.32

- (ii) अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 की अवधि में यूपीसीएल द्वारा 4 विद्युत उत्पादन केन्द्रों की समर्पित (surrender) की गयी ऊर्जा का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	केन्द्र के नाम	राज्य परिधि पर प्राप्त ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	राज्य परिधि पर यूपीसीएल द्वारा समर्पित ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	राज्य परिधि पर कुल ऊर्जा हकदारी (मिलियन यूनिट)	कुल स्थायी लागत (₹ करोड़)	औसत स्थायी लागत (₹/यूनिट)
1	झज्जर अरावली	0.38	44.78	45.16	6.33	1.40
2	दादरी गैस	23.35	131.56	154.91	8.54	0.55
3	एफजी ऊंचाहार-4	85.02	33.56	118.58	17.01	1.43
4	एफजी ऊंचाहार -3	38.63	13.71	52.34	6.05	1.16
	कुल	147.38	223.61	370.99	37.93	1.02

(iii) 01-04-2021 से 30-09-2021 की अवधि में प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज की गणना निम्नानुसार की गयी है:

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
अ.	राज्य परिधि पर औसत स्थायी लागत (रु०/यूनिट)	1.02
ब.	अनुमोदित पिटकूल हानियां @ 1.40 प्रतिशत तथा वितरण हानियां @ 14.00 प्रतिशत के पश्चात उपभोक्ता परिधि पर औसत स्थायी लागत (रु०/यूनिट)	1.20
स.	Stranded ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	98.79
द.	उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से कय की गयी ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	102.32
य.	प्रस्तावित अतिरिक्त सरचार्ज (ब x स / द) (रु०/यूनिट)	1.16

- याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आमंत्रित किये जाते हैं। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस- माजरा, देहरादून -248171 को अथवा ई-मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 21-01-2021 तक भेजे जा सकते हैं।
- विस्तृत पिटीशन किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120-हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमाऊँ क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132-के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर-2, सिडकुल, पंतनगर, रुद्रपुर-263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है।
- उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

(डा० नीरज खैरवाल)
प्रबन्ध निदेशक